कृषि विभाग

कृषि रोड मैप

(कार्यान्वयन अनुदेश)

6. कृषि यांत्रिकीकरण

वर्ष

2014–2015

श्री नरेन्द्र सिंह,
कृषि मंत्री,
बिहार, सरकार।

बिहार सरकार,
कृषि विभाग
विकास भवन, पटना–15
ळवअज व ि ठपींत
क्मचजज व ि ।हतपबनसजनतम
टपौं ठींूदए च्ंजदं.15

संदेश

कृषि के विकास में फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता की वृद्धि हेतु यांत्रिकीकरण का विशेष महत्व है। कृषि यंत्रों के उपयोग से कृषि कार्य में लगने वाले समय, अर्थ एवं श्रम की सदैव बचत होती है।

राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कृषि यंत्रों पर कृषकों को अनुदान प्रदान करती है। इस वर्ष मखाना उत्पादक कृषकों के लिए मांग के अनुरुप उनके लिए उपयोगी कृषि यंत्रों को योजना में शामिल किया गया है। यह हर्ष का विषय है। आशा है मखाना उत्पादक किसान बंधु इन यंत्रों का उपयोग कर अपनी उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करेगें। यांत्रिकीकरण योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश 2014–15 तैयार किया गया है। अनुदेश पुस्तिका विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं कृषकों के लिए मार्ग दर्शन का कार्य करेगा।

मैं इस प्रयास की सराहना करता हूँ।

(नरेन्द्र सिंह)
कृषि मंत्री,
बिहार, सरकार।

ड

अमृत लाल मीणा,भा0प्र0से0
प्रधान सचिव, कृषि
बिहार, सरकार।

बिहार सरकार,
कृषि विभाग
विकास भवन, पटना–15
ळवअज व ठर्पीतए
क्मचजज व
।हतपबनसजनतमए
टपों ठीूंदए च्ंजदं.15

संदेश

कृषि के क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता की वृद्धि हेतु कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं यथा–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, हरितक्रांति उप योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राज्य योजना एवं आइसोपोम योजना अंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण को सम्मिलित किया गया है। मखाना किसानों की मांग पर इसकी खेती के लिए उपयोगी कृषि यंत्र योजना में शामिल किया गया है। बीज उत्पादन कार्यक्रम की महता को देखते हुए बीज प्रसंसकरण इकाई को भी अनुदान योजना में शामिल किया गया है, जिसमें आधुनिक एवं अत्यधिक उपयोगी कृषि यंत्र पर विशेष बल दिया गया है। इसके अंतर्गत अनुदानित दर पर कृषिकों को बड़े, मध्यम एवं छोटे कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

कृषि यांत्रिकीकरण के सफल कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश, 2014–15 तैयार किया गया है। कार्यान्वयन अनुदेश की प्रति संबंधित पदाधिकारियों, कर्मचारियों, कृषकों एवं जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जा रहा है।

विश्वास है कि किसान इससे अधिक लाभ उठाएँगे।

ह0/–

(अमृत लाल मीणा)) क्ष्मी)
प्रधान सचिव, कृषि ।

धर्मेन्द्र सिंह,
भा0व0से0
कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार,
कृषि विभाग
विकास भवन, पटना–15
ळवअज व ठपींतए
क्मचजज व
|हतपबनसजनतमए
टपों ठींूंदए च्जदं.15

संदेश

फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत यथा राज्य योजना, आइसोपोम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, हरित क्रांति उप योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में कृषि यांत्रिकीकरण को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत अनुदानित दर पर कृषकों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जाना है। कृषि के आधुनिकरण में कृषि यांत्रिकीकरण एक अभिन्न अंग है।

इस योजना से निम्नांकित उद्देश्यों की पूर्ति सन्निहीत है :–

1. फसलों की उत्पादन एवं उत्पादकता की वृद्धि में यांत्रिक शक्ति का अधिकतम उपयोग
2. समय, अर्थ एवं श्रम की बचत
3. समय पर फसल तैयारी एवं कटाई का प्रबंधन

किसानों की मांग एवं इसकी आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न योजनाओं में कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा दिया गया है तथा इसमें छोटे, मध्यम एवं बड़े सभी प्रकार के कृषि यंत्रों को शामिल किया गया है ताकि सभी श्रेणी के कृषक इसका लाभ प्राप्त कर सकें एवं इसके उपयोग से उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के साथ–साथ किसान अपने आय में वृद्धि एवं समय तथा श्रम की बचत कर पाएँगे।

कृषि यांत्रिकीकरण के सफल कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश 2014–15 तैयार किया गया है। मुझे उम्मीद है कि कार्यान्वयन अनुदेश 2014–15 का अनुपालन जिला/प्रखंड/सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा किया जायगा। इस हेतु कार्यान्वयन अनुदेश की प्रति संबंधित पदाधिकारियों एवं अन्य प्रतिनिधियों को सूचनार्थ उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुझे पूर्ण विश्वास है सभी सम्बंधित पक्ष इससे लाभान्वित होंगे।

ह0/–

(अरविन्दर सिंह)
कृषि निदेशक, बिहार पटना।

C:\Users\4077407\AppData\Local\Temp\Framework\karayanayan Anudesh 2014-15 New_110A613.dot

अनुक्रमाणिका

क्र0सं0	विषय	पृष्ठ सं0
1.	विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान की राशि	
2.	कृषि यांत्रिकीकरण योजना 2012–13 के लिए क्रियान्वयन अनुदेश	
3.	कृषि यंत्र पर अनुदान हेतु विभिन्न विहित प्रपत्र	
4.	अनुदानित दर पर वितरित कृषि यंत्रों से सम्बंधित लाभान्वित कृषकों की सूची का प्रपत्र	
5.	कृषि यांत्रिकीकरण योजना अन्तर्गत प्रगति की समीक्षा हेतु प्रपत्र	
6.	कृषि यांत्रिकीकरण का अनुश्रवण प्रपत्र	
7.	विभिन्न योजनाओं अंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण के लिए विभिन्न मदों का योजनावार/जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य	
8.	ट्रैक्टर की सूची	
9.	पावर टीलर की सूची	
10.	कम्बाइन हार्वेस्टर की सूची	
11.	कृषि यांत्रिकीकरण से सम्बंधित महत्वपूर्ण पत्र/परिपत्र	

कृषि यांत्रिकरण योजना 2014–15 के लिये
कार्यान्वयन अनुदेश

1. प्रस्तावना :– यह योजना बिहार के सभी जिलों में लागू होगी। कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम के ये दिशा निदेश राज्य योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं हरित क्रांति योजना पर लागू होगें।

2. योजना का उद्धेश्य :–

- ❖ उत्पादकता वृद्धि में यांत्रिक शक्ति का अधिकतम उपयोग
- ❖ समय, अर्थ एवं श्रम की बचत
- ❖ फसल योजना का समय पर सम्पादन
- ❖ समय पर फसल तैयारी का प्रबंधन

3. कृषि यंत्रों की सूचीकरण :– संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण) बिहार, पटना द्वारा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान, आई0 एस0 आई0/बी0 आई0 एस0/ एफ0 एम0 टी0 एण्ड टी0 आई0 द्वारा अनुशंसित कृषि यंत्र को छोड़कर भारत सरकार द्वारा नामित`ाे द्वारा परीक्षित एवं प्रमाणित मानक कृषि यंत्रों के निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे तथा उन यंत्रों के गुणवत्ता प्रमाण पत्र की जाँच कर कृषि निदेशालय, बिहार के पत्रांक 346 दिनांक 13.05.2014 (संलग्न) के आलोक में भारत सरकार से निर्गत पत्रांक 13–10/99–ड–ज;प्–च्द्ध दिनांक 03.12.2013(संलग्न) में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। विभिन्न कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा निर्मित एवं राज्य में सूचीबद्ध मेक/मोडल से सम्बंधित सूचना संकलित कर प्रकाशित की जायगी।

राज्य स्तर पर प्रशासी विभाग द्वारा एक कमिटि का गठन किया जायेगा। कमिटि द्वारा यंत्रों की सूचीकरण एवं मूल्य नियंत्रण के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी।

कृषि यंत्र निर्माताओं का यह दायित्व होगा कि मेला में अनुदान पर वितरण हेतु अधिकृत डीलरो को आपूर्ति किये गये यंत्रों पर आवश्यकतानुसार इंजन नम्बर/चेचिस नम्बर उत्किर्ण (मदहतंअमक) करेगें। संयुक्त कृषि निदेशक, (अभियंत्रण) बिहार, पटना कृषि यंत्र निर्माताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ नियमित बैठक आयोजित कर योजना में आपूरित यंत्रों की समीक्षा करेगें तथा तत्सम्बंधी प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे।

सम्बंधित जिले के जिला कृषि पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे विभाग द्वारा निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्रखंडवार पंचायतों की संख्या के अनुपात में वितरित करेगें वे प्रति पंचायत सामान्यतः समान लक्ष्य रखेगें यदि भौगोलिक कारणों से इसमें संशोधन करना हो तो वे लिखित कारण लक्ष्य वितरण आदेश में अंकित करेगें। इसकी सूचना जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/अध्यक्ष, जिला परिषद्/प्रखंड विकास पदाधिकारी/विशेष

पदाधिकारी/नगर निकाय सांसद/विधायक/पंचायत प्रमुख/नगर निकाय एवं पंचायत क्षेत्र के निर्वाचित मुखिया एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी /कृषि समन्वयक को देंगे। बैंक लिंक्ड कृषि यंत्रों के लक्ष्य को भी सम्बंधित बैंक के शाखा प्रबंधक/लीड बैंक पदाधिकारी/नवार्ड/जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध करा देंगे। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समय माह जनवरी की उपलब्धि के आधार पर पंचायत के अव्यवहृत लक्ष्य को दूसरे पंचायत में श्रक। के अनुमोदन से समायोजित किया जा सकेगा।

4. कृषक का चयन

i वैसे कृषक का चयन किया जाये जिनके नाम से खेती योग्य भूमि हो।
ii कृषक इच्छुक/प्रगतिशील हों।

iii अनुसूचित जाति के 16 प्रतिशत एवं अनुसूचित जन–जाति के 1 प्रतिशत कृषक समुदाय का चयन किया जाएगा। उक्त कोटि के कृषक के लिए आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य किसी भी परिस्थिति में दूसरे कोटि के कृषकों को देय नहीं होगा। इस कोटि के भूमि धारक किसान नहीं मिलने पर वैटाइदार/जोत भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी यंत्र दिये जा सकते है, ताकि लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।

iv जिन कृषकों को पूर्व में कोई यंत्र मिल चुका है, उन्हें उस यंत्र के लिए पुनः चयनित नहीं किया जाएगा अर्थात एक किसान को अनुदानित यंत्र मात्र एक ही वार देय होगा।

v एक किसान को शक्ति स्रोत यंत्र यथा ट्रैक्टर एवं पावर टीलर के अतिरिक्त दो सहायक कृषि यंत्र जो विभिन्न प्रकृति के है, पर ही अनुदान देय होगा।

vi कृषकों का चयन लक्ष्यानुसार पंचायतवार लौटरी के आधार पर किया जाएगा।

vii कृषक प्रक्षेत्र पाठ्शाला के कृषकों को/स्वयं सहायता समूह/उपभोक्ता समूह/किसानों की सहकारी समिति आदि को भी योजना का लाभ मिलेगा।

viii 15 अश्वशक्ति तक के ट्रैक्टर के लिए लाभन्वित कृषकों को कम से कम 1 एकड़ जमीन हो।

ix 15 अश्वशक्ति से अधिक के ट्रैक्टर के लिए लाभान्वित कृषक को कम से कम 1 हेक्टेयर जमीन हो।

x पावर टीलर के लाभान्वित कृषक के पास कम से कम 1 एकड़ जमीन हो।

xi कम्बाईन हार्वेस्टर के लाभान्वित कृषक के पास कम से कम 2 हेक्टेयर जमीन हो।

xii पम्पसेट के लाभान्वित कृषक के पास कम से कम $\frac{1}{2}$ (आधा) एकड़ जमीन हो।

xiii छोटे कृषि यंत्रों के लिए जमीन सम्बंधी कागजात की आवश्यकता नहीं है। इससे कृषक मजदूर एवं बटाई पर खेती करने वाले कृषक मजदूर लाभान्वित हो सकेगें, परन्तु कृषि समन्वयक/ किसान सलाहकार/ पंचायत प्रतिनिधि / मुखिया / कर्मचारी से पहचान अवश्य कराया जायगा। सहायक कृषि यंत्र प्राप्ति के लिए मुख्य कृषि यंत्र वाले लाभार्थी को प्राथमिकता दी जाय।

xiv बिना भूस्वामित्व प्रमाण पत्र के लिखित रूप में लीज/पट्टा पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसानों को ट्रैक्टर/पावर टीलर/कम्बाईन हार्वेस्टर एवं अन्य बडे कृषि यंत्र पर अनुदान देय नहीं होगा।

5. यंत्र के लिए आवेदन

;पद्ध **आवेदन की प्राप्ति** :– जिला कृषि पदाधिकारी कृषि यांत्रिकरण की सभी योजनाओं का यंत्रवार लक्ष्य समेकित करेंगे तथा इस समेकित लक्ष्य का 150 प्रतिशत आवेदन प्रत्येक कृषि यंत्र का किसानों से प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगें। कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए इच्छुक किसान कृषि विभाग के विभागीय वेबसाइट ूूणतपीपण्इपीण्दपबण्पद पर आवेदन ऑन लाईन कर सकते है। उसके अतिरिक्त आवेदन पत्र प्रखंड स्तर पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा भी प्राप्त किये जायेगे एवं आवेदक को प्राप्ति रसीद दी जायेगी, जिस पर आवेदन का क्रमांक, दिनांक एवं कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम/पदनाम एवं हस्ताक्षर अंकित होगा। (प्रारूप संलग्न)। प्रखंड कार्यालय में आवेदन प्राप्त होते ही प्रखंड कृषि पदाधिकारी इसे ऑन लाईन अपलोड करेगें। प्राप्त आवेदनों को प्रखंड कृषि पदाधिकारी यंत्रवार / तिथिवार/कोटिवार दो प्रति में सत्यापित रजिस्टर में संधारित करेंगे। सत्यापित रजिस्टर के एक प्रति सम्बंधित जिला कृषि कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। आवेदन पत्र संधारण हेतु विभागीय पत्रांक 3299 दिनांक 07.07.2011(प्रपत्र संलग्न) का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

(पप) आवेदन की जाँच :– आवेदन की जाँच प्रखंड कृषि पदाधिकारी अथवा जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा की जायेगी। आवेदन जाँच की प्रक्रिया अधिक से अधिक 15 दिनों में निश्चित रूप से पूरी की जायेगी। यह जाँच किसान के निवास स्थल पर जाकर की जायेगी। अन्य बातों के अतिरिक्त यह देखा जायेगा कि आवेदक किसान हैं या नहीं तथा उन्हें सचमुच कृषि उपकरण की आवश्यकता है या नहीं तथा मांग किया गया यंत्र पूर्व में उन्हें अनुदानित दर पर उपलब्ध हुआ है या नहीं। जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर से यह सुनिश्चित किया जायेगा, कि कृषि यंत्र के प्राप्त आवेदन की जाँच शत–प्रतिशत हो गई है। अयोग्य आवेदनों को कारण सहित अस्वीकृत किया जायगा। योग्य आवेदनों का प्रखंड के

लिए निर्धारित लक्ष्य के आधार पर स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा। लक्ष्य से अधिक योग्य आवेदक होने पर उनकी प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी जिन्हें आगामी वर्ष में प्राथमिकता दी जायेगी। आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं जाँच की समीक्षा जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह में की जायगी तथा अद्यतन प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 7 वीं तारीख को संयुक्त कृषि निदेशक के ई–मेल के माध्यम से कृषि निदेशक, बिहार को संलग्न प्रपत्र में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायगा।

(पपप) बैंक आधारित यंत्र का आवेदनः– बैंक ऋण के माध्यम से कृषि यंत्र लेनेवाले इच्छुक कृषकों से संबंधित प्राप्त आवेदन को भी प्रखंड कृषि पदाधिकारी 15 दिनों के अन्दर जाँचकर अपनी अनुशंसा के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से संबंधित बैंक को अग्रसारण पत्र के साथ भेजना सुनिश्चित करेंगे। इसे भी बैंक पंजी में यंत्रवार विधिवत संधारित किये जायेगें; ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बैंक में कितने आवेदन किस यंत्र के भेजे गए हैं। बैंक में भेजे गए आवेदन की स्वीकृति की समीक्षा जिला स्तरीय बैंकर्स कमिटि की बैठक/टास्क फोर्स की बैठक में की जायेगी। बैंको में लंबित आवेदन पत्रों की एक सूची प्रत्येक माह निदेशालय को भी भेजी जाएगी।

- इच्छुक किसान द्वारा यदि स्वयं सीधे संबंधित बैंक को ऋण स्वीकृति हेतु ट्रैक्टर/पावर टीलर/कम्बाईन हार्वेस्टर/ मोबाइल प्रोसेसिंग यूनिट का आवेदन दिया जाता है, तो वैसे आवेदन भी मान्य होंगे, परन्तु बैंक द्वारा जमीन/अन्य आवश्यक सूचनाओं की सत्यता की जांच हेतु आवेदन पत्र प्रखंड कृषि पदाधिकारी को लौटाया जोयगा। प्रखंड कृषि पदाधिकारी/समकक्ष तकनीकी पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों की जाँचोपरान्त अपनी अनुशंसा के साथ पंजी में संधारित कर ही बैंक को लौटायेंगे ताकि यह स्पष्ट रहे कि संबंधित बैंक को कितने आवेदन किस तिथि को भेजे गए है।, इसका अनुश्रवण भी किया जायेगा। जिला कृषि पदाधिकारी उसकी मासिक समीक्षा करेंगे।
- शाखा प्रबंधक द्वारा आवेदन को 15 दिनों के अन्दर स्वीकृत करते हुए विशेष दूत से पत्र के माध्यम से इसकी सूचना जिला कृषि पदाधिकारी को दिया जायगा, जिसे वे अपने यहाँ रक्षी संचिका में क्रमवार संधारित करेंगे। बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति की तिथि को आधार मानकर जिला कृषि पदाधिकारी अनुदान की राशि स्वीकृत करेंगे।

(पअ) आवेदन की स्वीकृति एवं स्वीकृति पत्र का विवरण :– ऐसे सभी आवेदन जो जाँच में अनुदान के लिये योग्य पाये जाते है; उन्हें एक स्वीकृति पत्र दिया जोयगा। किसानों को स्वीकृति पत्र में देय अनुदान भुगतान की प्रक्रिया एवं मेला की तिथि अंकित रहेगा। दस हजार रूपये से कम वाले अनुदान कृषि यंत्रों की स्वीकृति पत्र प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा तीन प्रति में निर्गत किया जायेगा तथा दस हजार एवं दस हजार से अधिक अनुदान वाले यंत्रों का स्वीकृति पत्र जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा। आवेदनों की संख्या लक्ष्य से अधिक होने पर लॉटरी द्वारा लाभार्थियों का चयन किया जायेगा। शेष आवेदनों की प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। मेला आयोजन के पूर्व संबंधित प्रखण्ड के जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रखण्डों में शिविर लगाकर स्वीकृति पत्रों का वितरण कृषकों को करेंगे तथा तत्सम्बंधी प्रतिवेदन जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। प्रमण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक स्वयं एवं अधीनस्थ पदाधिकारी को जिला में भेज कर समीक्षा करेंगे एवं मेला से पूर्व शत–प्रतिशत स्वीकृति पत्र का वितरण किसान तक सुनिश्चित कराएँगे।

6. अनुदानित दर पर कृषि यंत्रों का क्रय :– योजना के लिए पात्र किसान जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वीकृति पत्र के आलोक में किसान मेला में किसी भी प्रतिष्ठान से अनुदानित दर पर यंत्र का क्रय कर सकेंगे। किसानों को अपनी इच्छा से किसी भी कंपनी का कृषि यंत्र किसी भी अधिकृत विक्रेता से क्रय करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। कृषि यंत्रों पर मेक ब्रांड तथा यंत्र क्रमांक उत्किर्ण होना अनिवार्य होगा। अनुदानित दर पर कृषि यंत्रों का क्रय–विक्रय मात्र किसान मेला में ही किया जायेगा। किसान ;मेला में भागीदारी के लिये भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान एवं गुणवत्ता प्राप्त संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण) बिहार द्वारा सुचीबद्ध सभी कंपनियों/डीलरों (विक्रेताओं) को आमंत्रित किया जायेगा। अनुदानित दर पर वितरित कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन एवं परिसम्पति का फोटोग्राफी का कार्य

सम्बंधित पंचायत के कृषि समन्वयक अथवा प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा मेला में ही किया जायेगा तथा उसी समय अनुदान राशि भुगतान कर दिया जायेगा।

7. वितरण में पारदर्शिता

जिला कृषि पदाधिकारी मेला आयोजन की तिथि से दो दिन पूर्व चयनित कृषकों की सूची विहित प्रपत्र में जिला पदाधिकारी/जिला परिषद के अध्यक्ष/सभी प्रखण्ड के प्रखण्ड प्रमुख का हस्तगत करायेंगे तथा वही सूची सभी प्रखण्ड मुख्यालय में एवं जिला कृषि के सूचना पट पर प्रदर्शित करेंगे। वही सूची जिला स्तरीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करेंगे तथा मेला मे भी वही सूची प्रदर्शित करेगें ताकि मेला में आये कृषकों को कोई असुविधा ना हो।

8. गुणवतापूर्ण यंत्रों की उपलब्धता :–

(क) यंत्रों की उपलब्धता :– वित्तीय वर्ष के शुरूआत में यंत्रों की पर्याप्त उपलब्धता हेतु संयुक्त कृषि निदेशक, अभियंत्रण, बिहार, पटना राज्य स्तर पर कृषि यंत्र से जुड़े निर्माताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं /विक्रेताओं की बैठक कृषि निदेशक, बिहार की अध्यक्षता में करायेगें। कृषि निदेशक, बिहार से बठक की प्राप्त करेंगे तथा बैठक की तिथि की सूचना संबंधित सभी निर्माताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं/बिक्रेताओं को पत्रों/ई–मेल दूरभाष/विशेष दूत/समाचार पत्रों के माध्यम से देंगे। राज्य स्तरीय बैठक में दोनो विश्वविद्यालय से भी अभियंत्रण के डीन/विभागाध्यक्ष को आमंत्रित करेगें। प्रमंडलीय स्तर पर संयुक्त कृषि निदेशक अपने अध्यक्षता में अपने क्षेत्राधीन कृषि यंत्र निर्माता/विक्रेता की बैठक कर यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करायेंगे।

(ख) अनुदान पर वितरित कृषि यंत्र की विशिष्टता :–

- **i** ट्रैक्टर/पावर टीलर/कम्बाईन हार्वेस्टर के संबंध में भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग से अनुमोदित मेक/मॉडल पर ही अनुदान देय होगा।
- **ii** कम्बाईन हार्वेस्टर के संबंध में भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधीन केन्द्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (एफŒएमŒटीŒ एण्ड टीŒआईŒ) से जाँच किया होना चाहिए।
- **iii** ट्रैक्टर के संबंध में 70 अश्वशक्ति तक के ट्रैक्टर एवं कम्बाईन हार्वेस्टर के संबंध में भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध कम्बाईन हार्वेस्टर पर अनुदान देय होगा।
- **iv** भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग नई दिल्ली के पत्र संख्या–13–10/99 एम0एण्ड टी0 (आईŒ एण्ड पीŒ) दिनांक– 03.12.2013 के अलोक में संबंधित कृषि यंत्र (ट्रैक्टर, पावर टीलर एवं कम्बाईन हार्वेस्टर) के लिए संबंधित संस्थान से प्रमाण पत्र की उपलब्धता पर कृषि यंत्रों पर अनुदान देय होगा। इसका दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायगा। इसके अलावा भारत सरकार कृषि मंत्रालय से गुणवत्ता संबंधी अद्यतन निर्गत मार्ग निर्देश की प्रति समय–समय पर उपलब्ध करायी जायगी। तद्नुसार कार्रवाई सुनिश्चित किया जायगा। (प्रत्र संलग्न)
- **v** 40 अश्व शक्ति से उपर का ट्रैक्टर पर अनुदान भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकानाइजेशन की स्वीकृति के पश्चात् देय होगा।
- **vi** आपूर्तिकर्ता/एजेन्सी/बिक्रेताओं द्वारा आपूर्ति किये गये कृषि यंत्रों पर यंत्रों के सिरियल्स नम्बर के साथ प्लेट निश्चित रूप से हुआ होना चाहिए, जिस पर योजना का नाम, जिला का नाम वित्तीय वर्ष के साथ लाभार्थी का नाम एवं पता आदि अंकित रहे।

9. कृषि यंत्रों का मूल्य नियंत्रणः–

कृषि यांत्रिकरण हेतु विभाग द्वारा आयोजित किये जाने वाले मेले में कृषि यंत्रों के मूल्य नियंत्रण हेतु निम्नलिखित कार्रवाई की जायेगी।ः–

(क) निदेशालय द्वारा कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम हेतु पंजीकृत सभी निर्माताओं से यंत्रों के ब्रांडवार बाजार मूल्य की लिखित सूचना प्राप्त की जायेगी।

ब्रांडवार उस सूचना की बाजार दर के सामान्यतः समतुल्य होने का प्रमाणन, सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा आत्मा की जिला स्तरीय किसान सलाहकार समिति

के साथ बैठक कर, जिसमें किसानों के 11 प्रतिनिधि विशेष तौर पर आमंत्रित करके बुलाया जाय, से प्रमाणन करा लिया जाय एवं किसानों द्वारा सत्यापित मूल्य, सम्बंधित जिले के मेले में प्रश्नगत अधिकृत विक्रेता के संदर्भित ब्रांड का बिक्री मूल्य माना जाय। उस मूल्य से अधिक मूल्य पर आपूर्तिकर्त्ता बिक्री नहीं करें।

(ख) विभिन्न ब्राडों के निर्माता, ब्रांडवार बिहार राज्य के वितरकों को उनके द्वारा आपूर्ति किए गए यंत्रों का विवरण कृषि निदेशक को समर्पित करेंगे, जिसे वे सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को ब्पतबनसंजम कर देगें ताकि अनुदान वितरण करने से पूर्व जिला कृषि पदाधिकारी आश्वास्त हो लें कि जिस के बैमबीपेध्ंडाम के विरूद्ध अनुदान दिया जा रहा है वह वस्तुतः सम्बंधित ब्रांड के निर्माता द्वारा राज्य में आपूर्ति किया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वे सब स्टैंडर्ड/स्वबंससल ेमउइसमकध्ैचनतपवने मशीनों की बिक्री मेले में नहीं होने दें। इससे राज्य में सब स्टैंडर्ड मशीनरी की आपूर्ति पर रोकथाम लगेगी।

(ग) जिले में मेले में भाग लेने वाले सभी डंदनंिजनतमते/वितरक मेले में भाग लेने के समय विभिन्न वितरकों को जो यंत्र आपूर्ति किए गए है, उससे सम्बंधित प्दअवपबम जिला कृषि पदाधिकारी को भी उपलब्ध करायेंगे। जिला कृषि पदाधिकारी मेले में मात्र अधिकृत मशीनों की ही आपूर्ति रहे, इसे सुनिश्चित करेंगे एवं तदनुसार अनुदान का भुगतान करेंगे। यदि किसी भी सब–स्टैंडर्ड मशीन के मामले में अनुदान का भुगतान किया जाएगा तो जिला कृषि पदाधिकारी उसके निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे।

(घ) जिला कृषि पदाधिकारी जिला पदाधिकारी से सम्पर्क कर यह सुनिश्चित करायेगें कि वाणिज्य कर विभाग मेले में अपना एक प्रतिनिधि दल प्रतिनियुक्त करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बिक्री हो रहे मशीन अधिकृत बिक्रेताओं की है और अधिकृत मशीनों से बिक्री कर की वसूली हो रही है। कृषि विभाग के स्तर से भी वाणिज्यकर विभाग को अनुरोध किया जायेगा।

(ङ) जिला पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगें कि मेले में वे दंडाधिकारियों का एक दल प्रतिनियुक्त करें, जो स्टैंडर्ड मशीनों की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। जिला पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बिक्री हो रहे सभी मशीनें कंपनी द्वारा निर्मित है, कोई सब–स्टैंडर्ड/ स्वबंससल ेमउइसमक मशीन बिक्री नहीं हो रही है, एवं टैक्स की वसूली हो रही है तथा किसानों से लिया जा रहा मूल्य वहीं है, जो सामान्यतः बाजार मूल्य है।

10. कृषि यांत्रिकरण मेला :–

(क) जिला स्तर

- **i** जिला कृषि पदाधिकारी मेला से पूर्व जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में यंत्र निर्माताओं/विक्रेताओं की एक बैठक करायेगें जिसमें गुणवता युक्त कृषि यंत्रों को उचित मूल्य पर विक्री करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। **इस बैठक में कार्यान्वयन अनुदेश के क्रमांक–9 में वर्णित विन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करने पर विचार किया जायेगा।** जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि मेला में किसानों को उचित मूल्य पर गुणवता वाले कृषि यंत्र उपलब्ध हो सके।
- **ii** गुणवता युक्त कृषि यंत्र ही मेला में प्रदर्शित तथा उसकी बिक्री हो, इसके लिए जिला कृषि पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें जिला कृषि अभियंत्रण पदाधिकारी, परियोजना निदेशक आत्मा तथा जिला उद्यान पदाधिकारी सदस्य होगें। उक्त समिति मेला में प्रदर्शित/बिक्री किये जा रही यंत्रों की गुणवता के सम्बंध में जाँचोंपरांत विहित प्रपत्र में प्रमाण पत्र निर्गत करेगें।
- **iii** यांत्रिकरण सॉफ्टवेयर के माध्यम से अनुदान की प्रक्रिया लागू होने पर कार्यान्वयन अनुदेश में तदनुसार संशोधन किया जायगा।
- **iv** यंत्रों की गुणवता सत्यापन हेतु जिला कृषि पदाधिकारी यंत्रों की सूची तथा संबंधित गुणवता प्रमाणन एजेंसी/ संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण) द्वारा सूचीबद्ध करने संबंधी सभी आवश्यक अभिलेख मेला में रखेंगे जिसके आलोक में प्रदर्शित यंत्रों की गुणवता सत्यापन का कार्य किया जायेगा।

v स्वीकृत पत्र एक पुस्तिका रूप में होगी, जिसमें 3(तीन) प्रतिया निर्मित की जायेगी। जिसमें एक किसान को दिया जायेगा तथा दूसरी प्रति किसान के आवेदन के साथ संलग्न होगा।

vi अगर यंत्र निर्माता द्वारा यंत्रो पर कोई क्रमांक उत्किर्ण नहीं किया गया है तो मेला में यंत्रों पर संख्या म्दहतंअमक कराने की जिम्मेवारी विक्रेता की होगी, जिसे जिला कृषि पदाधिकारी मेला में सुनिश्चित कराएगें।

vii मेला में गेट पास की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मेला प्रभारी के एक सहयोगी पदाधिकारी गेट पर प्रतिनियुक्त किया जाय। उनके द्वारा गेट पास की एक प्रति रख ली जाय। इस प्रति पर वे हस्ताक्षर कर दें। इसके बाद कार्यालय द्वारा अनुदान भुगतान की कार्यवाई की जाय। अभिलेख में गेट पास पदाधिकारी का प्रतिहास्ताक्षरित गेट पास भी सुरक्षित रखा जाय।

viii मेला में यंत्रों का सत्यापन का कार्य संबंधित पंचायत के कृषि समन्वयक /प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

ix कृषि समन्यवक द्वारा मेला में अपने पंचायत से संबंधित एक नोट–बुक संधारित किया जायेगा, जिसमें निम्नांकित सूचनायें अंकित की जायेगीः– यंत्र का नाम, पंचायत का भौतिक लक्ष्य, प्राप्त आवेदन की संख्या, सत्यापित आवेदन की संख्या, निर्गत स्वीकृति पत्र की संख्या (जिनको स्वीकृति पत्र निर्गत हो, मेला में उपस्थित नहीं हुए किसानों की संख्या जिनको स्वीकृति पत्र निर्गत है), किन कारणों से उपस्थित नही हुए। यंत्र क्रय करने वाले किसानों की संख्या, यंत्र क्रय नहीं करने वाले किसानों की संख्या (क्रय नहीं करने के कारण सहित) कुल वितरित यंत्र की संख्या, अस्वीकृत आवेदन की संख्या, अस्वीकृति का कारण तथा अभ्युक्ति।

x जिला स्तर पर गठित समिति जिसमें कृषि अभियंता भी शामिल है, स्टॉल में उपलब्ध यंत्रों की गुणवता से संबंधित प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में कृषि निदेशक को भेजेंगे तथा मेला के लिए तैयार भंडार पंजी में अंकित करेगें।

xi यंत्रों की गुणवता सत्यापन हेतु जिला कृषि पदाधिकारी यंत्रों की सूची तथा संबंधित गुणवता प्रमाणन एजेंसी एवं संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण) द्वारा सूचीबद्ध करने संबंधी सभी आवश्यक अभिलेख मेला में रखेंगे जिसके आलोक में प्रदर्शित यंत्रों की गुणवता सत्यापन का कार्य किया जायेगा।

xii 3–4 फोटोग्राफर की व्यवस्था मेला परिसर में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

xiii मेला में क्रय किये गये यत्रों का प्रथम सत्यापन मेला में किया जाए। मेला में क्रेता, विक्रेता तथा पहचानकर्ता के साथ क्रय किए गए यंत्र का फोटोग्राफ लिया जायेगा।

xiv मेला में यंत्रों की बिक्री क्रेता/विक्रेता के सुविधानुसार सुबह से ही प्रारंभ हो जायेगी। उद्घाटन के लिए इसकी प्रतीक्षा नहीं की जाएगी।

xv आवश्यकतानुसार मेला में स्टॉल निर्माण कराए जाएगें। इसका आकलन पूर्व में कर लेना होगा। सभी इच्छुक को स्टॉल आवंटित किए जाएगें।

xvi प्रत्येक यंत्र विक्रेता से एक शपथ पत्र की मॉग की जा सकती है कि मेला में, मेला के बाहर के बिक्री मूल्य से अधिक मूल्य पर कृषि यंत्र की बिक्री नही कि जायेगी।

xvii प्रत्येक कृषि यंत्र विक्रेता के स्टॉक तथा बिक्री पंजी एवं कैश मैमो का निरीक्षण जिला कृषि पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा की जायेगी। इसमें प्रतिवेदित मूल्य की तुलना मेला में प्रवृत मूल्य से की जायेगी। यह निरीक्षण प्रत्येक माह में किया जायेगा। फलाफल प्रतिवेदन प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक तथा कृषि निदेशक को भेजी जायेगी।

xviii यंत्र विक्रेता को जिस बैंक खाते में अनुदान का भुगतान किया जा रहा है, उसका बैंक स्टेटमेंट लिया जाय। उन्हें यह भी अनिवार्य कर दिया जाय कि इसी खाते से ये निर्माता को भुगतान करेंगे। इस विश्लेषण से यह जानकारी हो पायेगा कि खाते से केवल नगदी लेन–देन हो रहा है या किसी निर्माता को भुगतान भी किया जा रहा है। यदि किसी प्रकार की संदेह पायी जाती है तो इस संबंध में तुरन्त कारवाई प्रारम्भ की जाय। यह कारवाई जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा की जा सकती है।

xix मेला में यंत्रो की कीमत एवं अनुदान का प्रदर्शन थ्समगप पर किया जाएगा। कागज पर लिखकर चिपकाना वर्जित होगा। मेला में प्रदर्शित/बिक्री किये जा रहे यंत्रों की कीमत पर कृषि समन्वयक द्वारा कड़ी निगाह रखी जायेगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की मार्केट से कम कीमत पर कृषि यंत्रो की बिक्री मेला में की जा रही है।

(ख) मेला हेतु कर्मियों/पदाधिकारियों का दायित्व

मेला प्रभारी :–

जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा एक वरीय पदाधिकारी को मेला प्रभारी नामित किया जायेगा, जिनका दायित्व निम्नवत होगाः–

1. मेला में विक्रेताओं द्वारा लाए गए यंत्रो के भंडार तथा प्रतिदिन बिक्री का सत्यापन मेला प्रभारी से कराया जाए; इसके लिए क्रय विपत्र एवं विक्रय विपत्र को भी आधार बनाया जाय। मेला में विक्रय किये गये यंत्रों की निकासी के लिए गेट पास की व्यवस्था तथा इसका मिलान भंडार/बिक्री पंजी से किया जाय। डीलर के स्टॉक पंजी का सत्यापन संबंधित निर्माता से की जायेगी ताकि यह प्रमाणित हो सके कि जो यंत्र बेचे जा रहे हैं, वह निर्माता द्वारा आपूर्ति की गई है।
2. मेला में बिक्री किये गये यंत्र के कैशमेमों का सत्यापन मेला में मेला प्रभारी द्वारा किया जाएगा।
3. मेला प्रभारी किसानों द्वारा क्रय किए गए यंत्रो के कैशमेमों को प्रतिहस्ताक्षारित करेगें।
4. प्रत्येक कृषि यंत्र विक्रेता के स्टॉक तथा बिक्री पंजी एवं कैश मैमो का निरीक्षण मेला प्रभारी के द्वारा भी की जायेगी।

<u>कृषि समन्वयक</u>

1. किसानों को आवेदन पत्र उपलब्ध कराना ।
2. किसानों से आवेदन पत्र प्राप्त करना एवं जॉच कर प्रतिवेदन देना ।
3. पंचायत स्तर पर आवेदन प्राप्ति संबंधी पंजी का संधारण करना ।
4. किसानों को प्राप्ति रसीद देना ।
5. किसानों को स्वीकृति पत्र वितरित करना ।
6. मेला में किसानों को आमंत्रित करना ।
7. मेला में किसानों की पहचान करना ।
8. क्रेता/विक्रता एवं यंत्र (परिसम्पति) के साथ फोटाग्राफी में उपस्थित रहना ।
9. यंत्रो का भौतिक/उपयोगिता सत्यापन करना ।
10. पंचायत से संबंधित कृषि यंत्रो के लक्ष्य, प्राप्त आवेदन एवं अन्य सभी आवश्यक सूचनाओं को एक अलग से नोट–बुक में संधारित कर मेला में अपने साथ रखना।

<u>प्रखंड कृषि पदाधिकारी</u>

1. प्रखंडवार प्राप्त लक्ष्य को पंचायतवार विभक्त करना।
2. प्रखंड स्तर पर किसानों से आवेदन पत्र प्राप्त करना ।
3. पंचायतों से प्राप्त आवेदन को प्रखंड स्तरीय पंजी में अंकित करना ।
4. पत्र द्वारा आवेदन को लक्ष्य के अनुसार जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराना ।
5. जिला से स्वीकृति पत्र प्राप्त कर कृषि समन्वयक को वितरीत करना ।
6. सभी कृषि समन्वयको की मेला में उपस्थिति सुनिश्चित कराना ।
7. प्रखंड के किसानों को यंत्र के कय एवं अनुदान प्राप्ति में सहयोग करना ।
8. किसानों के आवेदन पर जॉच प्रतिवेदन एवं भौतिक / उपयोगिता सत्यापन करना ।
9. यंत्रो का मेला से ही क्रय सुनिश्चित कराना ।
10. छोटे यंत्रों यथा वीडर, मार्कर, सीडबीन, डिबलर, सीड कम फर्टिलाइजर डिबलर इत्यादि की विक्री प्रखंड स्तर पर आयोजित उत्सवों में कराना ।
11. मेला से तीन दिनों पूर्व प्रखंड स्तर पर मेला संबंधी कार्यो के निष्पादन हेतु कैम्प आयोजित कराना।

जिला कृषि पदाधिकारी का दायित्व

1. राज्य से प्राप्त लक्ष्य को प्रखंडवार पंचायतो के गुणक में विभक्त करना तथा अनुसूचित जाति/ जनजाति का लक्ष्य कर्णांकित करना; ताकि पंचायतवार लक्ष्य स्पष्ट हो सके ।
2. पंचायतवार/प्रखंडवार आवेदन संधारण हेतु पंजी उपलब्ध कराना ।
3. यांत्रिकरण में जिला स्तर पर समेकित पंजी का निर्धारण विहित प्रपत्र में सुनिश्चित करना।
4. जिला में उपलब्ध उपयुक्त स्थल पर मेला का आयोजन करना ।
5. मेला का उद्घाटन जिला के प्रभारी मंत्री से कराना सुनिश्चित किया जाय। अगर मंत्री उपस्थित न हो सके, तो जिलाधिकारी करेगें ।
6. मेला आयोजन हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत करना ।
7. मेला में भंडार का सत्यापन एवं कैशमेमों को प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु मेला प्रभारी को नामित करना तथा बिक्री किये गये यंत्रों को गेट–पास के माध्यम से निकास करने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करना।
8. मेला में जिला के सभी विक्रेताओं को आमंत्रित करना तथा ब्ध्ैज् एवं यंत्र प्राप्ति का श्रोत संबंधी प्रमाण पत्रों की जॉच के बाद स्टॉल आवंटित करना ।
9. मेला में ट्रैफिक/कानुन व्यवस्था संधारण हेतु जिला प्रशासन का सहयोग प्राप्त करना।
10. लक्ष्य के अनरूप यंत्रो की उपलब्धता सुनिश्चित कराना ।
11. सभी यंत्रो का क्रय–विक्रय मेला में ही हो। यह सुनिश्चित करना ।
12. किसानों/विक्रेताओं को मेला के दिन अनुदान राशि उपलब्ध कराना ।
13. प्रत्येक दिन की उपलब्धियों को समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना ।
14. मेला से एक सप्ताह पूर्व स्टेक होर्ल्डस की बैठक आयोजित करना तथा मेला में बिक्री किए जाने वाले यंत्रो के न्यूनतम मूल्य की सूचना लिखित में प्राप्त करना ।

परियोजना निदेशक, आत्मा का दायित्व

1. मेला का व्यापक प्रचार प्रसार कराना ।
2. प्रखंडों पर मेला आयोजन की तिथि तथा यंत्रो के अनुदान का थ्स्म्ग् लगाना ।
3. जिला की आवश्यकता के अनुसार स्टॉल का निर्माण कराना ।
4. मेला में पानी की व्यवस्था कराना ।
5. किसानों की सहायता के लिए एक स्टॉल लगाना ।
6. कृषि से संबंधित स्मंसिमज वितरित करना ।
7. उदघाटन की व्यवस्था करना ।
8. किसानों के प्रशिक्षण हेतु वैज्ञानिको को आमंत्रित करना ।
9. पर्याप्त संख्या में चेक मेला में उपलब्ध रखना।

प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशकः–

जिला स्तरीय कृषि मेला में संयुक्त कृषि निदेशक (प्रमंडलीय) भी उपस्थित रहेंगे एवं अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे तथा कृषि निदेशक, बिहार को प्रतिवेदित करेंगे। यदि प्रमण्डल में एक ही तिथि में एक से अधिक जिला में मेला आयोजित होता है तो उस स्थिति में प्रमण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक अपने अधिनस्थ पदाधिकारी को अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु अन्य जिला के मेला में प्रतिनियुक्त करेंगे। अनुदेश में संयुक्त कृषि निदेशक का दायित्व समय–समय पर निर्धारित है। ं योजना के प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करायेगे तथा कृषि निदेशक, बिहार को प्रतिवेदन देगें।

(ख) गन्ना मिलः– गन्ना उत्पादनों के लिए अनुदान पर कृषि यंत्र देने हेतु सम्बंधित जिले के प्रत्येक चीनी मिल परिसर में मेले का आयोजन गन्ना विभाग द्वारा किया जायेगा। मेला आयोजन की सूचना सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी दी जायेगी।

(ग) राज्य स्तर :– राज्य स्तर पर किसान मेला का आयोजन किया जाना है। इसमें राज्य स्तर पर कृषि यंत्रों का प्रदर्शनी/प्रत्यक्षण/प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसमें देश के प्रमुख कृषि यंत्र निर्माताओं को आमंत्रित किया जाय। प्रत्येक जिला से किसानों को इस प्रदर्शनी को दिखाने के लिये बुलाया जायेगा। ऐसा होने पर आधुनिक कृषि यंत्रों की जानकारी किसानों को हो सकेगी एवं वे सरकार के द्वारा दी जा रही अनुदान का लाभ ले सकेंगे। जिला कृषि पदाधिकारी राज्य स्तरीय मेला में कृषि यंत्र क्रय करने हेतु इच्छुक आवेदक कृषक को यथा समय स्वीकृति पत्र निर्गत कर इन्हें मेला में भाग लेने हेतु प्रेरित करेगें।

11. **अनुदान भुगतान की प्रक्रिया :–** किसानों के पास अनुदान के लाभ के लिये तीन विकल्प होंगे :–

i किसान द्वारा नगद क्रयः– किसानों के द्वारा पूरी राशि का भुगतान कर यंत्र का क्रय करने पर किसान के नाम से एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा अनुदान का भुगतान उसी दिन मेला परिसर में किया जायेगा।

ii किसान द्वारा अनुदान राशि छोड़कर विक्रेता को नगद भुगतानकर क्रयः– किसानों के द्वारा अनुदानित दर घटाकर यंत्र का क्रय करने पर एकाउन्ट पेयी चेक से विक्रेता को अनुदान की राशि भुगतान की जायेगी। यदि किसान मेला में यंत्रों की पूरी राशि लेकर नहीं आते है और वे यंत्र क्रय करने के लिए इच्छुक है; तो लाभान्वित कृषक जिला कृषि पदाधिकारी को यह आवेदन देंगे कि'' मैं................................ (क्रेता का नाम)............. अनुदानित दर पर ....(यंत्र का नाम)............. यंत्र का क्रय.................. (बिक्रेता का नाम) .... से किया हूँ। अनुदान की राशि .... (बिक्रेता का नाम) ....को शीघ्र भुगतान किया जाय। जिला कृषि पदाधिकारी उसी दिन मेला परिसर में संबंधित बिक्रेता को अनुदान का भुगतान करेंगे।

iii बैंक ऋण द्वारा क्रय :–बैंक ऋण लेकर कृषि यंत्र खरीदने वाले सभी किसानों के लिए उनके सत्यापित बैंक खाते में अनुदान की राशि एकाउन्ट पेयी चेक से जमा की जायेगी एवं यह चेक संबंधित बैंक शाखा (जिससे ऋण लेकर किसान के द्वारा कृषि यंत्र खरीदा गया है) को किसान के ऋण खाते में जमा करने हेतु भेजा जायेगा।

iv किसान मेला में जिला कृषि पदाधिकारी अपने नाजीर एवं संबंधित कर्मी के साथ मेला परिसर में तैनात रहेंगे, ताकि लाभान्वित कृषकों को यंत्र क्रय करने एवं अनुदान प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो। मेला अवधि में जिला स्तरीय/राज्य स्तरीय यदि कोई बैठक होती है तो स्वंय मेला में उपस्थित रहेगें एवं उक्त बैठक में भाग लेने के लिए अपने किसी प्रतिनिधि को प्राधिकृत करेंगे। मेला समाप्ति के दिन ही अपराह्न में लाभान्वित कृषकों की सूची संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/प्रमण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/कृषि निदेशक/राज्य नोडल पदाधिकारी (यांत्रिकीकरण) को विहित प्रपत्र में अचूक रूप से प्रतिवेदन भेजेंगे। राज्य नोडल पदाधिकारी (यांत्रिकीकरण) का यह दायित्व होगा कि मेला समाप्ति के उपरान्त जिलों से प्राप्त लाभान्वित की सूची संबंधित जिले के जिला नोडल पदाधिकारी को रेन्डम जाँच के लिए उपलब्ध करायेंगे।

12. **कृषि यंत्र का भौतिक/उपयोगिता सत्यापन :–** अनुदानित दर पर क्रय किये गये प्रत्येक कृषि यंत्र का भौतिक सत्यापन/उपयोगिता सत्यापन प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक अथवा जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के द्वारा किसान के घर जाकर किया जायेगा। किसान के घर जाकर भौतिक सत्यापन/उपयोगिता सत्यापन के लिए कैशमेमो पर उल्लेखित इंजन संख्या के अनुसार भौतिक सत्यापन करेंगे एवं विहित प्रपत्र में भौतिक सत्यापन/उपयोगिता सत्यापन प्रतिवेदन जिला कृषि पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। परन्तु इस प्रकार की सत्यापन प्रक्रिया के कारण अनुदान लम्बित नहीं रखा जायेगा। अनुदान का भुगतान मेला के दिन ही किया

जायेगा तथा किसान के घर जाकर भौतिक सत्यापन क्रय के दो माह बाद एवं छः माह के अंदर पूरा किया जायेगा।

13. **धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त की गयी अनुदान की राशि की वसूली एवं दण्डात्मक कार्रवाई :–** भौतिक सत्यापन/उपयोगिता सत्यापन/जाँच की प्रक्रिया में अगर ऐसा पाया जाता है कि किसान के पास क्रय किया गया कृषि यंत्र उपलब्ध नहीं है या किसी प्रकार की गलत सूचना देकर अनुदान प्राप्त किया गया था तो किसान से अनुदान की राशि वसूल कर ली जायेगी एवं उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी। जाँच के क्रम में यदि पाया जाता है कि कृषि यंत्रों के निर्माता/विक्रेता द्वारा अनुदानित दर पर अमानक यंत्र कृषकों को उपलब्ध कराये गये है या बिना यंत्र उपलब्ध कराये अनुदान का दावा किए गए है या अनुदान प्राप्त कर लिया गया है। वैसी स्थिति में संबंधित निर्माता/विक्रेता पर कृषि पदाधिकारी द्वारा तुरन्त प्राथमिकी दर्ज करते हुए प्रशासनिक कार्रवाई किया जायेगा। अमानक यंत्रों की आपूर्ति/यंत्रों की आपूर्ति किए बिना अनुदान प्राप्त करने/भुगतान करने में/अपात्र लाभूकों को अनुदान वितरण में जिला कृषि पदाधिकारी/प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वय/किसान सलाहकार/अन्य कार्यालय कर्मी की मिली भगत पायी जाती है तो प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक संबंधितों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे।

14. **लेखा का संधारण :–** अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये गये यंत्रो का लेखा संधारण योजनावार/कोटिवार किया जायगा। किसानों को दिये जाने वाले स्वीकृति पत्र जिस योजना के विरूद्ध दिये जा रहे हैं, उन्हें उसी योजना की पंजी में एक साथ संधारित किया जायगा तथा योजनावार केन्द्राश एवं राज्यांश के अनुपात के अनुरूप ही अनुदान राशि व्यय किया जायगा। जिला कृषि पदाधिकारी यह सुनिश्चित कर लेगें कि एक ही आवेदन को एक से अधिक योजनाओं में किसी भी परिस्थिति में स्वीकृति नहीं किया जाय।

15. **प्रचार–प्रसार :–** जिला कृषि पदाधिकारी इस योजना के संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार माह में दैनिक समाचार पत्रों, रेडियो एवं दूरदर्शन के माध्यम से किया जाएगा।

(क) मेले की तिथि का प्रचार प्रसार एक सप्ताह पूर्व से जिला के सभी प्रखंडों में लगातार होनी चाहिए।

(ख) जिला स्तर पर भी इस योजना के संबंध में किसानों की जानकारी के लिए फ्लैक्सी बोर्ड बनाकर जिला के मुख्य भवनों यथा जिला समाहरणालय/जिला कृषि कार्यालय/सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग लगाकर प्रचार–प्रसार किया जाएगा तथा कृषि यंत्रों पर दी जानेवाली अनुदान राशि को फ्लैक्सी बोर्ड पर अंकित कर प्रचार–प्रसार कराया जायगा।

(ग) जिला के सभी प्रखण्ड मुख्यालय/कृषि विकास शिविर स्थल पर/पंचायत मुख्यालय में भी फ्लैक्सी बोर्ड लगाकर इसका प्रचार–प्रसार किया जाएगा। पंचायत/प्रखण्ड स्तर पर पावर टीलर पर दिये जाने वाले अनुदान की राशि एवं कृषि यंत्रों की उपयोगिता के संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक (आत्मा) द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा जिला में प्रखंडवार लक्ष्य को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायगा तथा लिफलेट्स भी वितरित किये जायेंगे, जिससे कृषकों को इसकी जानकारी मिल सके तथा इसका आवेदन संबंधित बैंक/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी को कृषकों द्वारा उपलब्ध कराया जा सके। जिला कृषि पदाधिकारी आकस्मिकता मद से प्रचार–प्रसार करेंगे एवं लिफलेट्स वितरित करेंगे।

(घ) प्रचार प्रसार से संबंधित कार्यो का पर्यवेक्षण/अनुश्रवण अपने–अपने प्रमण्डल में प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक करेंगे तथा किये गये प्रयासों का सत्यापन कर सत्यापन प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 1 तारीख को कृषि निदेशक बिहार को भेजेगें।

16. कृषक प्रशिक्षण :–

i इसके तहत् 50(पचास) कृषक समूह के बीच तकनीकी हस्तान्तरण एवं जागरूकता अभियान चलाया जाना है।

ii यह कार्यक्रम जिला मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा; जिसमें योजना में शामिल किये गए सभी प्रकार के घटक यंत्र का नमूना लाया जायगा तथा इसका प्रचार–प्रसार कर कृषकों को बुलाया जायगा तथा उन्हें यंत्र का प्रत्यक्षण कर कृषि अभियंता/कृषि वैज्ञानिक द्वारा जानकारी दी जायगी एवं यंत्र से संबंधित लिफलेट/बुकलेट भी कृषकों को उपलब्ध कराया जायगा।

iii कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आत्मा के स्तर से किया जाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कृषकों को कृषि यंत्रों कें संबंध में प्रशिक्षित किया जा सके। आधुनिक कृषि यंत्र के उपयोग, रख–रखाव तथा मरम्मति आदि के संबंध में कृषकों जानकारी दिया जाना आवश्यक है। इस हेतु जिला स्तर पर कृषि यांत्रिकरण योजना अन्तर्गत लाभान्वित कृषकों को कृषि यंत्रों के संबंध में जानकारी दिया जाना है, जिसमें प्राथमिकता के तौर खरीफ रबी एवं गरमा फसलों के उत्पादन में उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग तथा लेजर लैण्ड लेवलर, कोनोवीडर, पॉवर वीडर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रील, कम्बाइन हार्वेस्टर स्ट्रा कम्बाइन, जीरो टिलेज मशीन, थ्रेसर, पम्पसेट, रीपर, पावर टिलर आदि प्राप्त कृषकों को प्रशिक्षित किया जाना है। तदोपरान्त अन्य कृषि यंत्र प्राप्त लाभान्वितों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा।

iv प्रशिक्षण कार्यक्रम आत्मा के द्वारा कृषि अभियंत्रण वैज्ञानिकों/अभियंताओं को आमंत्रित कर जिला स्तर पर संबंधित कृषकों प्रशिक्षित किया जाएगा। इस हेतु निदेशक, बामेती, बिहार कार्यक्रम बनाकर प्रशिक्षण कराने का कार्य करेंगे। जिला कृषि पदाधिकारी वैसे कृषकों की सूची जिन्होंने कृषि यंत्र प्राप्त किया है, परियोजना निदेशक, आत्मा को उपलब्ध करायेंगे, ताकि परियोजना निदेशक, आत्मा इस कार्यक्रम को शीघ्र अंतिम रूप दे सकें। कम्बाईन हार्वेस्टर, स्ट्रा कम्बाईन एवं अन्य उन्नत उपयोगी कृषि यंत्र के प्रशिक्षण हेतु इच्छुक कृषकों को राज्य के बाहर प्रशिक्षण हेतु आवश्यकतानुसार भेजा जा सकता है। इस हेतु जिला कृषि पदाधिकारी कृषकों की सूची परियाजना निदेशक, आत्मा को देते हुए निदेशक, बामेति बिहार को उपलब्ध कराएँगे। बामेति द्वारा राशि की उपलब्धता के आलोक में कार्यक्रम बनाकर कृषकों को राज्य से बाहर भारत सरकार के कृषि यांत्रिकीकरण से संबंधित संस्थानों यथा सीŒआईŒएŒईŒ भोपाल/एफŒएमŒटीŒ एण्ड टीŒआईŒ बुदनी/एनŒआरŒएफŒएमŒटीŒ एण्ड टीŒआईŒ, हिसार आदि जगहों पर प्रशिक्षण दिला सकेगें। साथ ही तकनीकी हस्तान्तरण एवं जागरूकता अभियान के तहत् भी कृषकों को राजकीय प्रक्षेत्र/किसान के खेत में कृषि यंत्रों का प्रयोग कर जागरुकता करना है ताकि वे नये कृषि यंत्र अनुदानित दर पर क्रय कर लाभ प्राप्त कर सके।

v सभी उपयोगी बड़े कृषि यंत्रों के निर्माता/विक्रेता लाभार्थी कृषकों को निश्चित रूप से उक्त यंत्रों के परिचालन एवं रख रखाव का प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करेगें।

vi कृषक प्रशिक्षण/तकनीकी हस्तान्तरण एवं जागरूकता अभियान कार्यक्रम के लिए आत्मा द्वारा निधि की व्यवस्था की जायेगी।

17 अनुश्रवण :–

;पद्ध प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा अपने प्रमंडल के जिलों में बिक्री की गई यंत्र, मुल्य एवं अनुदान तथा भुगतान का तरीका (किसान/डीलर/बैंक) की तुलनात्मक तालिका बनायी जायेगी तथा इसका विश्लेषण किया जायेगा। तालिका एवं विवरणी कृषि निदेशक को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रत्येक मेला के बाद राज्य स्तर पर संकलित तालिका एवं विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन सचिव/प्रधान सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के समक्ष उपस्थापित की जायेगी। प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक दृढ़ता से पालन करेगें।

.जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा अनुदान पर कृषि क्रय करने वाले लाभुक कृषकों की सूची विहित प्रपत्र में यंत्रवार जिला के बेवसाइट पर मेला की समाप्ति के उपरान्त

डाल दिया जाएगा, तथा इसकी साफ्ट प्रति कृषि विभाग की विभागीय बेवसाइट पर डालने हेतु उपलब्ध कराया जायगा।

;पपपद्ध जिला कृषि पदाधिकारी प्रत्येक माह के 7 वीं तारीख को संयुक्त कृषि निदेशक के माध्यम से विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन के साथ लाभान्वित कृषकों की सूची की साफ्ट प्रति एवं हार्ड प्रति कृषि निदेशक, बिहार को उपलब्ध करायेंगे, जिसका प्रपत्र संलग्न किया जा रहा है। लाभान्वित कृषकों की सूची की दूसरी प्रति विहित प्रपत्र में प्रत्येक माह में संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण) पटना को तथा तीसरी सूची जिला स्थित सेल टैक्स कार्यालय को भी निश्चित रूप से उपलब्ध कराएँगे।

;पअद्ध नियंत्री/ पर्यवेक्षी पदाधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन :– प्रमंडल में अनुदानित दर पर वितरण किये गये कृषि यंत्रों का 15 प्रतिशत, अधिकतम 80 प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक जिला में अनुदानित दर पर वितरण किये गये कृषि यंत्र का 30 प्रतिशत अधिकतम 80 जिला कृषि पदाधिकारी एवं अनुमंडल में अनुदानित दर पर वितरण किये कृषि यंत्र का 50 प्रतिशत अधिकतम 80 अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं जिला में पदस्थापित कृषि अभियंता द्वारा जिले में वितरित कृषि यंत्र का 50 प्रतिशत अधिकतम 80 कृषि यंत्र कृषि अभियंता द्वारा किसानों के घर पर जाकर भौतिक सत्यापन की जाँच की जायेगी। प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा शत–प्रतिशत कृषि यंत्रों का जाँच किया जाएगा। उपरोक्त संबंधित सभी पदाधिकारी के द्वारा जाँचोपरान्त जाँच प्रतिवेदन कृषि निदेशक, बिहार को उपलब्ध कराया जायगा, जिसमें स्पष्ट मंतव्य अभ्युक्ति कॉलम में अंकित रहे।

;अद्ध संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण) बिहार, पटना द्वारा राज्य में उपलब्ध कृषि अभियंताओं को यांत्रिकरण मेला में वितरित यंत्रों की रैन्डम गुणवत्ता जाँच हेतु जिला आवंटित किया जायेगा।

;अपद्ध संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण) प्रत्येक माह के 5वीं तारीख को सभी सूचिबद्ध उन्नत कृषि यंत्रों के निर्माताओं/वितरकों/आपूर्तिकर्ताओं की बैठक करेंगे तथा उनके द्वारा वितरित उन्नत कृषि यंत्रों का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे तथा समीक्षा करेंगे एवं समीक्षा/मूल्यांकन प्रतिवेदन से कृषि निदेशक को अवगत कराऐंगे।

;अपपद्ध .संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), बिहार आवश्यकतानुसार जिला का दौरा करेंगे तथा कृषि पदाधिकारी द्वारा वितरित कृषि यंत्रों की समीक्षा करेंगे तथा प्रतिवेदन से कृषि निदेशक को अवगत कराएँगे।

;अपपपद्ध .वित्तीय वर्ष के अंत में लाभान्वित कृषकों की पूर्ण सूची विहित प्रपत्र में सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी जिला कृषि पदाधिकारी स्पाइरल बाईंडिंग कराकर कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण) को निश्चित रूप से अप्रैल 2014 के 15वीं तारीख को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

;पगद्ध. कृषि रोड मैप परफौरमेंन्स इंडिकेटर में पावर टीलर, कम्बाईन हार्वेस्टर एवं जीरो टिलेज शामिल किया गया है। पावर टीलर पूर्व से मांग आधारित है। ज्ञापांक 64 दिनांक 06.01.2012 के आलोक में कम्बाईन हार्वेस्टर एवं जीरो टिलेज भी मांग आधारित है। इन यंत्रों के निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि के लिए जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा विशेष रूप से कृषकों के बीच प्रचार प्रसार किया जायगा एवं साप्ताहित प्रगति प्रतिवेदन कृषि निदेशालय के ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

18. अन्यान्य :–

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति हेतु कर्णांकित राशि का विचलन नहीं किया जायगा।
2. कम्बाईन हार्वेस्टर/मोबाईल सीड प्रोसेसिंग यूनिट बैंक ऋण आधारित होगा।
3. कम्बाईन हार्वेस्टर जिन कृषकों द्वारा अनुदानित दर पर प्राप्त किया जाएगा, उन्हें स्ट्रा रिपर भी निश्चित रूप से लेने की अनिवार्यता नहीं होगी। पशुचारा का प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु स्ट्रा रिपर के लिए इच्छुक कृषक को भी निर्धारित अनुदान देय होगा।
4. नकद पत्र मूल (व्तपहपदंस) में होना चाहिये। जिस पर यंत्र का ेचमबपपिबंजपवद (यंत्र का अश्वशक्ति, मेक/मॉडल/साइज/टाईन अंकित हो) एवं ऐसेसरीज में ऐसेसरीज का नाम स्पष्ट रूप से अंकित हो।

5. जिला कृषि पदाधिकारी फर्मवार/यंत्रवार अनुदानित दर पर वितरित यंत्र पर वैट (टंज) कटौती की सत्यता की जाँच हेतु जिला स्थिल सेल टैक्स कार्यालय को सूचना प्रत्येक माह के समाप्ति पर देंगे तथा पूरे वर्ष का एक समेकित सूचना वित्तीय वर्ष के अंत में जिला कृषि पदाधिकारी देंगे ताकि क्रास चेकिंग हो सके। (वैट कटौती से संबंधित दिशा निर्देश के संबंध में परिपत्र–संलग्न)
6. स्वीकृत्यादेश में जिन यंत्रों पर अनुदाय देय है उन्हीं यंत्रों पर अनुदान देय होगा। उसके अतिरिक्त किसी भी यंत्र पर अनुदाय देय नहीं होगा।

कृषकों से प्राप्त कृषि यंत्र के आवेदन संधारण हेतु विहित प्रपत्र

जिला का नामः–

प्रखंड का नाम

यंत्र का नाम

<u>लक्ष्य :–</u>

क्र0 सं0	कृषक का नाम	पिता का नाम	ग्राम	पंचायत	कृषक का वर्गीकरण अ0जाति/अनु0 जन0/महिला/ अन्य	कृषक का प्रकार सीमान्त/लघु/अन्य	यंत्र का मेक/मॉडल	यंत्र की क्षमता (अश्वशक्ति)	आवेदन का क्रमांक	आवेदन प्राप्ति की तिथि	आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत	अस्वीकृत होने का कारण	आवेदक द्वारा यंत्र क्रय करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

फोटोग्राफ

कृषि यंत्र पर अनुदान हेतु आवेदन का विहित प्रपत्र

आवेदन का क्रमांक...................... दिनांक .... वित्तीय वर्ष .... द्वारा भरा जाय)

1. किसान का नाम–

2. पिता/पति का नाम–

3. ग्राम ...., डाकघर ...., पंचायत .... प्रखंड ...., अनुमंडल ...., जिला .... दूरभाष/मोबाईल संŒ ....

3.1 बैंक का नाम (प्थ्ैब कोड सहित)/खाता नं0ः–

4. कृषक श्रेणी (उपयुक्त श्रेणी में √ चिन्ह लगावें)

अनुसूचित जाति ( ) अनुसूचित जनजाति ( ) पिछड़ी जाति ( ) अत्यंत पिछड़ी जाति ( ) अल्प संख्यक ( ) महिला ( ) सामान्य ( )

5. उम्र (जन्म तिथि) : वर्ष............... महीना............. दिन.............

6. पहचान चिन्ह :–

7. कृषक के पास उपलब्ध भू–धारिता का विवरण (पावर टीलर पर अनुदान के लिए न्यूनतम एक एकड़/ छोटे ट्रैक्टर 15 अश्वशक्ति तक के लिए एक एकड़/15 अश्सशक्ति से अधिक के ट्रैक्टर के लिये 2.5 एकड /कम्बाईन हार्वेस्टर के लिये 5 एकड़ तथा पम्पसेट के लिये आधा एकड़ भू–धारिता अनिवार्य है।) (अद्यतन रसीद की प्रति संलग्न किया जायेगा।)

ग्राम खाता संŒ खेसरा संŒ रकवा(एकड़ में)

8. क्रय किये जाने वाले यंत्र के संबंध में विवरणः–

(क) मेक/मॉडल अथवा कम्पनी का ब्रान्ड नाम–

(ख) यंत्र की अश्व शक्ति–

(ग) यंत्र का मूल्य–

9. मैं पूरे मूल्य का नगद भुगतान कर उक्त कृषि यंत्र खरीदना चाहता हूँ /मैं विक्रेता से अनुदानित दर पर कृषि यंत्र खरीदना चाहता हूँ/मैं बैंक ऋण लेकर कृषि यंत्र खरीदना चाहता हूँ। (जो लागू नहीं हों उन्हें काट दें)

10. मेरे द्वारा पूर्व (पूर्ववर्त्ती वर्षो/वर्त्तमान वर्ष में इस आवेदन से पूर्व) में अनुदान पर उक्त कृषि यंत्र नहीं लिया गया है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण सही हैं। अनुदानित दर पर क्रय किये गये कृषि यंत्र का मैं स्वयं उपयोग करूँगा/करूँगी। इसे न तो हस्तांतरित करूँगा/करूँगी और न ही इसे बेचूँगा/बेचूँगी। मैं जानता हूँ कि गलत सूचना के आधार पर अनुदान प्राप्त करने की बात प्रमाणित होने पर अनुदान की राशि मुझसे वसूली जायेगी एवं मेरे विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

किसान का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान एवं तिथि

नोटः– टंकित/हस्तलिखित हस्ताक्षरित आवेदन दिये जा सकते है।

प्राप्ति रसीद

नाम :– ग्राम– प्रखंड– जिला– से

कृषि यंत्र पर अनुदान हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किया गया। आवेदन का क्रमांक . ...दिनांक........................... वित्तीय वर्ष .... है।

प्राप्तकर्त्ता का पूरा नाम/पदनाम एवं हस्ताक्षर तथा तिथि

कृषि यंत्र पर अनुदान हेतु कृषि समन्वयक/प्रखंड कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन (संबंधित पदाधिकारी द्वारा भरा जाय)।

मैंने जाँच किया एवं तदनुसार प्रमाणित किया जाता है कि

1. आवेदक श्री/श्रीमती... पिता/पति का नाम ....

ग्राम ...., डाकघर ...., पंचायत .... प्रखंड .... अनुमंडल ...., जिला .... किसान हैं एवं उक्त पते पर रहते हैं।

2. इनके द्वारा आवेदन पत्र में भू–धारिता के संबंध में दिया गया विवरण सही है। इनके पास .... एकड़ जमीन है (भू–धारिता के संबंध में जाँच उन्हीं कृषि यंत्रों के लिये प्रासंगिक होगा जिनमें भू–धारिता के संबंध में विभाग द्वारा व्यवस्था विहित की गयी है अन्यथा इस खंड को काट दिया जायेगा)।

3. इन्हें पूर्व (पूर्ववर्त्ती वर्षो/वर्त्तमान वर्ष में इस आवेदन से पूर्व) वर्षो में उक्त कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ नहीं दिया गया है।

मैं उक्त कृषि यंत्र पर सरकार द्वारा अनुमान्य अनुदान की स्वीकृति की अनुशंसा करता हूँ।

कृषि समन्वयक का नाम/ हस्ताक्षर एवं तिथि	प्रखंड कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम/पदनाम एवं हस्ताक्षर तथा तिथि

बैंक शाखा द्वारा कृषि यंत्रों का ऋण स्वीकृति/वितरण संबंधी प्रतिवेदन :–

फोटोग्रॉफ

1. लाभार्थी कृषक का नाम एवं पूर्ण पता :

कृषक का नाम : ....पिता/पति का नाम................

ग्राम ....पोस्ट ....थाना ....

.........प्रखंड..जिला...

2. योजना का नाम :–
3. बैंक शाखा का नाम एवं पता :–
4. कृषि यंत्र का नाम :–
5. कृषि यंत्र की अश्व शक्ति/पी0टी0ओ0
6. आपूर्ति करने वाले प्रतिष्ठान का नाम एवं पता :–
7. कृषि यंत्र का कुल मूल्य :–
8. कृषि यंत्र का मेक/मॉडल/ब्राण्ड :–
9. कृषि यंत्र का इंजन संख्या :–

9 (क) चेचिस संख्या :–

10. कृषि यंत्र कहां से जॉच किया हुआ है :(ैप्ध्थ्डज्ज्ध्ठै आदि)

(क) ऋण स्वीकृति संबंधी विवरण :–

(i) ऋण स्वीकृति की तिथि :

(ii) स्वीकृत ऋण की राशि :

(iii) ऋण स्वीकृति का खाता संख्या/चालू/बचत खाता संख्या/स्वीकृति आदेश सं0: **अथवा**

(ख) ऋण वितरण संबंधी विवरण :

(i) ऋण वितरण की तिथि :

(ii) वितरित ऋण की राशि :

(iii) ऋण खाता संख्या :

शाखा प्रबंधक का हस्ताक्षर एवं मुहर।

नोट :– इसके साथ भूमि संबंधी प्रमाण पत्र, प्रतिष्ठान द्वारा दिया गया कृषि यंत्र का कैशमेमो/ कोटेशन एवं आवासीय प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न की जाय।

ज्ञापांक :– दिनांक 2014/2015

प्रतिलिपि :– जिला कृषि पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी, ...को सूचनार्थ एवं अनुदान विमुक्ति हेतु प्रेषित।

शाखा प्रबंधक का हस्ताक्षर एवं मुहर।

अनुदानित दर पर कृषि यंत्र क्रय हेतु स्वीकृति पत्र (कार्यालय द्वारा भरा जाय)

आवेदक श्री/श्रीमती.. पिता/पति का नाम ....
....

ग्राम ...., डाकघर ...., पंचायत .... प्रखंड
......................................, अनुमंडल ...., जिला ....
के आवेदन पत्र की जाँच की गई है एवं सही पाया गया है।

2. आप .... (कृषि यंत्र का नाम) पर अनुदान की पात्रता रखते हैं। आपके द्वारा उक्त कृषि यंत्र के क्रय करने पर आपको मूल्य का .... प्रतिशत अधिकतम ....
.... रूपया अनुदान देय है।

4. आप अपनी पसंद के किसी भी विक्रेता से आवेदन में दिये गये मेक/मॉडल/अश्व शक्ति का कृषि यंत्र किसान मेला में खरीद सकते हैं।

1. कृषि यंत्र का क्रय करने के बाद क्रय संबंधी कैशमेमो मूल में जिला कृषि पदाधिकारी को प्रस्तुत करें। कैशमेमो में अनिवार्य रूप से इंजन सं0 लिखा होना चाहिए।
2. नियमानुसार कृषि मेला में क्रय किये गए कृषि यंत्र पर अनुदान की राशि कृषि यंत्र के भौतिक सत्यापन (जो मेला में क्रय के समय ही किया जायेगा) के पश्चात, आपके नाम एकाउंट पेयी चेक/विक्रेता के नाम एकाउंट पेयी चेक/आपके बैंक ऋण खाते में जमा किया जायेगा। (जो लागू नहीं हो उसे काट दें)

जिला कृषि पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं तिथि

<u>अनुदानित दर पर कृषि यंत्र क्रय का भौतिक/उपयोगिता सत्यापन संबंधित विहित प्रपत्र</u>
<u>(संबंधित पदाधिकारी द्वारा भरा जाय)</u>

आवेदक श्री/श्रीमती... पिता/पति का नाम ....
....

ग्राम ...., डाकघर ...., पंचायत .... प्रखंड ...., अनुमंडल ...., जिला .... के घर जाकर जाँच की गई है एवं इंजन संख्या .... कृषि यंत्र पाया गया है। कृषि यंत्र का उपयोग किसान जुताई/ढुलाई/सिंचाई/थ्रेसिंग/अन्य कार्य................................. .... में करते हैं। किसान कृषि यंत्र से संतुष्ट हैं।

किसान का
हस्ताक्षर / अंगूठे का
निशान एवं तिथि

प्रखंड कृषि पदाधिकारी / विषय वस्तु
विशेषज्ञ / जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत
पदाधिकारी का नाम पदनाम एवं हस्ताक्षर

<u>अनुदानित दर पर कृषि यंत्र विक्रेता के लिए केश मेमो का प्रारूप</u>

<u>फर्म का नाम एवं पता</u>

किसान का नाम : ....टीन नं0.............................

पता/ग्राम :..पंचायत ....भी.ए.टी.नं...........................

कृषि यंत्र का नाम ....मोबाईल सं0:–..................................

इंजन नं0 :–...

प्रखंड :–...जिला ....

विपत्र सं0 ....दिनांक ....

क्र0सं0	यंत्र का नाम	कम्पनी का नाम	मेक/ मॉडल	अश्व शक्ति/मानव चालित	इंजन संख्या/अमट क्रमांक	कुल कीमत	अनुदान की राशि	शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9

किसान का हस्ताक्षर **विक्रेता का हस्ताक्षर एवं मूहर**

नोट :– (क) विपत्र तीन कॉपी में होगा। प्रथम विपत्र समेकित विपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(ख) विक्रेता अपना कुल विपत्र के साथ एक समेकित विपत्र जिला कृषि पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।

समेकित विपत्र का प्रारूप

फर्म का नाम एवं पता

टीन नं0 :–..

भी.ए.टी.नं0 :– ....

फोन नं...

क्र0 सं0	दिनांक	विपत्र का नं0	किसान का नाम	ग्राम	पंचायत	कृषि यंत्र नाम	मात्रा (सं0 में)	कुल कीमत	अनुदान की राशि	किसानों द्वारा प्राप्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
कुल										

कुल प्राप्त राशि ....रू0/(शब्दों ....में)।

कुल अनुदान की राशि ....रू0/(शब्दों ....में)।

जिला कृषि पदाधिकारी
द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी
का हस्ताक्षर एवं मुहर

विक्रेता का हस्ताक्षर
एवं मुहर

कृषि यंत्र निर्माता द्वारा कृषि निदेशालय को भेजे जाने वाले आवेदन का प्रपत्र

प्रपत्र

जिलावार अनुदान पर आपूर्ति किये गये कृषि यंत्रों का विवरण

यंत्र निर्माता का नाम/पता एवं मो0/ई–मेल

क्र0सं0	जिला का नाम	डीलर का नाम पता एवं मो0 नं0	यंत्रका नाम	मैक/ मॉडल	वितरित संख्या	इंजन नं0/अमिट क्रमांक	कैशमेमों सं0 एवं तिथि	यंत्र की कीमत
1	2	3	4	5	6	7	8	9

यंत्र निर्माता का पूरा नाम

हस्ताक्षर एवं मोहर

प्रपत्रः

कृषि मेला में प्रदर्शित गुणवतायुक्त कृषि यंत्र से सम्बंधित प्रमाण पत्र

जिला का नामः...................................... मेला की तिथिः..............

प्रमंडल का नामः...................................

प्रमाणित किया जाता है कि कृषि यांत्रिकीकरण मेला में प्रदर्शित कृषि यंत्रों की जाँच की गई है। प्रदर्शित सभी कृषि यंत्र मानक संस्थाओं से प्रमाणित तथा संयुक्त कृषि निदेशक(अभियंत्रण) बिहार पटना से सूचीबद्ध है। प्रदर्शित कृषि यंत्रों पर आवश्यकतानुसार इंजन नम्बर/चेचिस नंम्बर/अमिट क्रमांक पाया गया।

जाँच करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर

1. जिला उद्यान पदाधिकारी :–

2. परियोजना निदेशक आत्माः–

3. जिला कृषि अभियंत्रण पदाधिकारीः–

4. जिला कृषि पदाधिकारी :–

ज्ञापांकः....................................... दिनांक :.......................................

प्रतिलिपि :– कृषि निदेशक, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

जिला कृषि पदाधिकारी

अनुदानित दर पर वितरित कृषि यंत्रों से संबंधित लाभान्वित कृषकों की सूची यंत्रवार/ग्रामवार/पंचायतवार/प्रखंडवार

क्र सं	कृषक का नाम	पिता/ पति का नाम	ग्राम	पंचायत	प्रखंड	यंत्र का नाम	आवेदन पत्र/ बैंक में स्वीकृत पत्र प्राप्ति की तिथि	चेसिस संख्या	इंजन संख्या	मेक/ मोडल	अश्व शक्ति	आईएसआई /बी0आई0 एस0/एफ 0एम0टी0 एण्डटी0आई0	गुणवत्ता पूर्ण है या नहीं	भारत सरकार के सूची में शामिल है या नहीं	कुल कीमत	अनुदान की राशि	किसानों द्वारा प्राप्ति रसीद	आपूर्तिकर्ता का नाम और पूरा पता दूरभाष के साथ	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

साप्ताहिक प्रतिवेदन

कृषि रोड मैप 2013–14 का परफौरमेंस इंडिकेटर

जिला का नामः–

तिथिः– राशि लाख में

क्र Œ सं 0	योजना का नाम	इकाई	भैतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि	अभ्युक्ति
			2014.15	2014.15	2014.15	2014.15	
1	2	3	4	5	6	7	8
क	**कृषि यंत्र**						
1 1	पावरटीलर	संख्या					
1 2	जीरो टिलेज	संख्या					
1 3	कंबाईन हारवेंस्टर	संख्या					

जिला कृषि पदाधिकारी,